पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 9 वर्ष 2020

==========

शंकर प्रसाद, पिता- विष्णु प्रसाद, मोहल्ला-चभाचा चौक, वार्ड संख्या 4, थाना- शहर, जिला-मधुबनी।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती प्रमीला देवी, पत्नी- ललन प्रसाद, निवासी मोहल्ला-चभाचा चौक, वार्ड संख्या 4, थाना- शहर, जिला-मधुबानी।
2. विष्णु प्रसाद, पिता- स्वर्गीय चुलहाई साहू, गाँव-परिहार, थाना- परिहार, जिला-सीतामढ़ी।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री बैद्य नाथ ठाकुर, अधिवक्ता

उत्तरदातागण की ओर से :

==========

भारत का संविधान - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 68 और 69 - - धारा 68 का प्रावधान स्पष्ट करता है कि वसीयत के अलावा अन्य दस्तावेजों के लिए सत्यापनकर्ता गवाह को बुलाना अनावश्यक है, यदि उनके निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया है और दस्तावेज भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है। - ट्रायल कोर्ट ने धारा 68 की गलत व्याख्या की, जिसमें जीवित होने पर निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह को बुलाने की आवश्यकता होती है। - - जब निष्पादन से इनकार नहीं किया गया था, तो हस्तलेख या हस्ताक्षर के सबूत की आवश्यकता के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 और 73 का गलत उपयोग किया गया। *(संदर्भित मामले: - रोसाम्मल इसेथेनम्मल फर्नांडीज बनाम*

जोसा मरियन फर्नांडीज (एआईआर 2000 एससी 2857) - ***पंजीकृत दस्तावेज के निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं करने पर गवाह की गवाही को सत्यापित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है - - दोहराया गया कि यदि निष्पादन से इनकार नहीं किया जाता है तो गवाहों को सत्यापित करने के माध्यम से निष्पादन को साबित करना अनावश्यक है*** *(संदर्भित मामले: - गोविंदभाई छोटाभाई पटेल बनाम पटेल रमनभाई माथुरभाई (एआईआर 2019 एससी 4822)। माना गया, ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए आदेश को अलग रखा गया, और उपहार विलेख को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने की याचिका को अनुमति दी गई।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा
मौखिक निर्णय
दिनांक: 25-06-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना। हालाँकि, नोटिस की तामिला के बावजूद कोई भी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित नहीं हुआ ।

2. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान अवर न्यायाधीश–VI, मधुबनी द्वारा विभाजन वाद संख्या- 17/2005 में दिनांक 18-10-2019 के पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत वादी/याचिकाकर्ता की मां और प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में याचिकाकर्ता की नानी द्वारा निष्पादित दिनांक 13-12-1979 के उपहार विलेख को प्रदर्शित करने के लिए वादी/याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की गलत व्याख्या पर विवादित आदेश पारित किया गया है। विद्वान

विचारण न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में दस्तावेजों को साबित करने के लिए गवाह को प्रमाणित करना आवश्यक था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह विशेष रूप से दलील दी गई है कि साक्ष्य देने वाला गवाह जीवित नहीं था और जब साक्ष्य देने वाला गवाह जीवित था तो पहले दायर आवेदन को दबाए बिना निपटाया गया था। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 68 का परंतुक इस बात पर स्पष्ट है कि यदि दस्तावेज़ का निष्पादन प्रश्नगत नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण में एक प्रमाणक गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो एक वसीयत नहीं है, और दस्तावेज़ भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करते हुए मामले में आगे बढ़ना शुरू किया कि वादी/याचिकाकर्ता पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 और 73 का उल्लेख करके गलत धारणा पर गवाह को फिर से प्रमाणित करने की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान करने के लिए किसी व्यक्ति को फिर पेश करना अनिवार्य था। कानून की यह व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रतिवादियों ने उस उपहार विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया है जिसे प्रदर्शित करने की मांग की जा रही थी। मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा ***रोसमल इसेथीनाम्मल फर्नांडीस (मृत) एल आर एस द्वारा और अन्य बनाम जोसा मरियन फर्नांडीस और अन्य ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2857*** के मामले के पैरा 10 में कहा गया है कि धारा 68 के परंतुक के तहत कम से कम एक सत्यापनकर्तो को पेश करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है यदि किसी ऐसे दस्तावेज के निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है जो वसीयत नहीं है, जो पंजीकृत है। इस प्रकार, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने 1979 के उपहार विलेख को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देने की याचिका को अस्वीकार करके गलती की।

4. दस्तावेज़ के निष्पादन के सबूत के संबंध में भारतीय कानून साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 इस प्रकार हैः-

> **"68. कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण।-** यदि एक दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, इसका उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया गया है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में असमथर्य है।
>
> बशर्ते कि किसी भी दस्तावेज़ के निष्पादन के सबूत में, जो एक वसीयत नहीं है, एक प्रमाणक गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 (16 1908 का), प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया है। जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।"

इसके बाद, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि दस्तावेज का निष्पादन में इंकार करने की रिकॉडिंग की जाए तो इसे तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसकी स्वीकति को साबित करने के लिए, एक प्रमाणक गवाह को नहीं बुलाया जाता, यदि प्रमाणक गवाह जीवित है और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है तो वह अपना सबूत देने में सक्षम है। यदि कोई प्रमाणक गवाह नहीं मिलता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 लागू होगी। भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 69 में प्रावधान है कि ऐसे मामले में गवाह को दस्तावेज़ को इस तरह से साबित करना चाहिए कि कम से कम एक प्रमाणक गवाह का सत्यापन उसकी लिखावट में हो और दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में हो और उसी उद्देश्य के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 और 73 प्रासंगिक होगी। हालाँकि, धारा 68 का परंतुक एक प्रमाणक गवाह को बुलाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है यदि उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन से इंकार किया जाना माना जाता है। **रोसमल इसेथीनाम्मल फर्नांडीस (मृत) एल आर एस द्वारा और अन्य बनाम जोसा मरियन फर्नांडीस और अन्य (उपयुर्क्त)** का इस संबंध में उललेख किया जा सकता है। इसके अलावा, **गोविंदभाई छोटाभाई पटेल और अन्य बनाम पटेल रमनभाई माथुरभाई** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ **ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 4822** के मामले में रिपोर्ट किया गया कि कानून को उसी प्रस्ताव पर बनाया जा सकता है जिसमें यह माना गया है कि उपहार विलेख के निष्पादन से विशेष रूप से इंकार न किए जाने की स्थिति में, उपहार प्राप्तकर्ता को धारा 68 के प्रावधान के संदर्भ में प्रमाणित करने वाले गवाहों में से किसी एक से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि उपहार विलेख के निष्पादन से कोई इनकार नहीं है, इसलिए इसे प्रमाणक गवाह के औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है।

5. उपरोक्त कारणों से, मैं नही मानता कि विवादित आदेश को बनाए रखा जा सकता है और अतः इसे रद्द किया जाता है और आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

6. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।